हरियाणा में पराली जलाने का संकट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा में पराली जलाने के 84% मामले सिर्फ सात ज़िलों में केंद्रित हैं, जिससे वायु प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ बढ़ रही हैं।

प्रमुख बिंदु

- **पराली जलाना:**
  - हरियाणा में पराली जलाने की **84 प्रतिशत** घटनाएँ **सात ज़िलों** से आती हैं।
  - सर्वाधिक योगदानकर्त्ता **फतेहाबाद**, **कैथल**, **करनाल**, **जींद**, **कुरुक्षेत्र**, **अंबाला** और **यमुनानगर** हैं।
  - चालू सीज़न में दर्ज **कुल 1,595 खेतों में आग लगने की घटनाओं में से 1,343 घटनाएँ** इन सात ज़िलों में हुई हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - हरियाणा और दिल्ली-NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण में पराली जलाने का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
  - इन आग से निकलने वाला धुआँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा देता है तथा सर्दियों के महीनों के दौरान पहले से ही खराब हो रही वायु गुणवत्ता को और खराब कर देता है।
- **सरकारी प्रयास:**
  - हरियाणा सरकार ने पराली जलाने को हतोत्साहित करने के लिये विभिन्न पहल की हैं, जिनमें फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना भी शामिल है।
  - किसानों को फसल अवशेष के निपटान के लिये पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने हेतु प्रेरित करने हेतु **जुर्माना और प्रोत्साहन** लागू किये गए हैं।
- **किसानों के समक्ष चुनौतियाँ:**
  - वैकल्पिक तरीकों की **उच्च लागत** और मशीनरी की **सीमित उपलब्धता** के कारण कई किसान पराली जलाना जारी रखते हैं।
  - कटाई और अगली फसल की बुवाई के बीच का छोटा समय किसानों पर दबाव डालता है, जिससे वे त्वरित समाधान, अर्थात पराली जलाने का विकल्प चुनते हैं।
- **नीति और प्रवर्तन:**
  - उल्लंघनकर्त्ताओं के लिये दंड का प्रावधान होने के बावजूद, पराली विरोधी कानूनों का प्रवर्तन एक चुनौती बना हुआ है।
  - सरकार ने हैप्पी सीडर मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया है, लेकिन उनका उपयोग धीमी गति से हो रहा है।

//

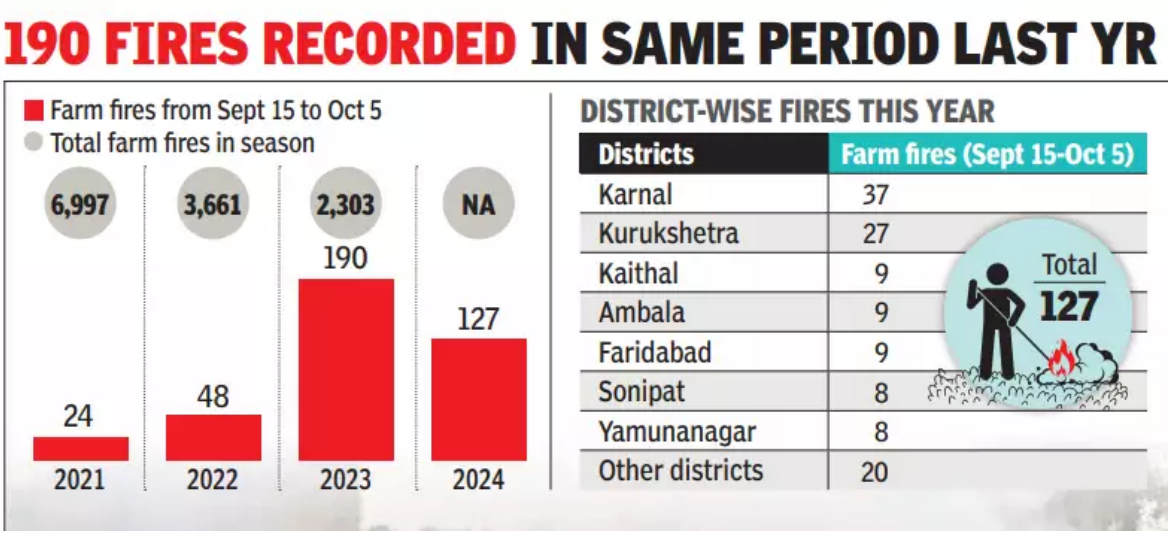

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-s-stubble-burning-crisis